अपील सूचना अधिकार संख्या 47/2017 अनवानी रामनाथ पुत्र श्री बनवारी लाल जाति नाथ, निवासी– गावं 4 एलसीए तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर बनाम उपजिला कलक्टर, रायसिंहनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

30–08–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री रामनाथ उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्राव ली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री रामनाथ ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 06.10.2016 के द्वारा उपजिला कलक्टर, रायसिंहनगर से निम्न सूचना चाही थीः–

1. माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा न्यायालय हाजा को पत्रावली पतराम बनाम बनवारी लाल आरएए श्रीगंगानगर निर्णय दिनांक 23.04.98 कम संख्या–3912 डिस्पेच न0 15169 दिनांक 14.09.2001 द्वारा न्यायालय हाजा को भेजी गई कि प्रमाणित प्रति।
2. उक्त प्रकरण कि मूल पत्रावली की नकल प्रमाणित दी जावे।
3. उक्त प्रकरण की पत्रावली अपील या अन्य प्रकरण में अन्य अदालत में भेजी गयी है तो उसकी सूचना।

अपीलार्थी ने यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत उपजिला कलक्टर रायसिंहनगर से चाही गई सूचना जान बूझकर उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाये जाने का आदेश दिया जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर उप जिला मजि0 रायसिंहनगर ने अपना प्रतिवेदन सं0 2503 दिनांक 12.06.17 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में संबंधित पत्रावली तलाश कर प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध करवा दी गई है। इस प्रतिवेदन के सलंग्न अपील पत्र की प्रति पर रामनाथ अपीलार्थी द्वारा अपने हस्ताक्षर सहित नोट अंकित किया है कि उसके द्वारा सूचना के अधिकार में जो नकल चाही है वह उसे मिल गई है।

इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उसे प्राप्त हो चुकी है। इसलिए अपीलार्थी की अपील पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नही होने से खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर व अपीलार्थी को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 30.08.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर